राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(5)न्याय/18 जयपुर, दिनांकः 29.09.2019

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2019–20 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई । विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था। श्री शुभकरण द्वारा संतान संबंधी प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.2019 में इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गये है।

श्री शुभकरण द्वारा दिनांक 26.09.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह गम्भीर हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण पदोन्नति लेने में असमर्थ है तथा पदोन्नति परित्याग करते है। अतः श्री शुभकरण के आवेदन पर इनकी पदोन्नति निरस्त की जाती है।

श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी का कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, सीकर (स्थानान्तरणधीन) से स्थानान्तरण/पदस्थापन सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, चूरू के रिक्त पद पर एतद्द्वारा किया जाता है।

आज्ञा से

29-9-19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव